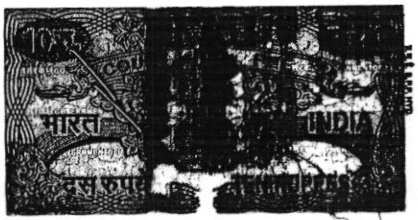

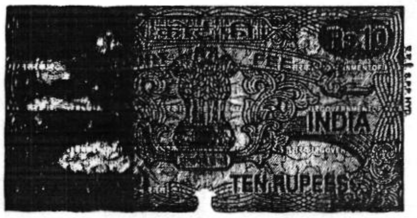

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3428

श्री एम० पी० भटनागर
द्वारा 21-9-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
21-9-17

M.P. Bhatnagar Adv
21/9/17

अश्वनी कुमार पुत्र श्री शिवकुमार शर्मा, निवासी – ग्राम बहुआ, परगना मेहगांव, जिला भिण्ड (म0प्र0)

— निगरानीकर्ता

बनाम

मीनादेवी उर्फ मीरादेवी पत्नी रवीन्द्र कुमार पुत्री हरीचरण, निवासी – ग्राम बहुआ, परगना मेहगांव, जिला भिण्ड (म0प्र0) हाल निवासी – मीरा कॉलोनी, भिण्ड म0प्र0

— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 106/2015–16/निगरानी में आदेश दिनांक 09.08.2017 से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हे कि आवेदक

205

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3428

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की, ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	